भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1780

बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

नवीकरणीय ऊर्जा के प्रचालन के लिए पारेषण अवसंरचना

1780. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:
श्री सुब्बारायण के :
श्री सेल्वाराज वी :

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रचालन हेतु पारेषण अवसंरचना की पर्याप्तता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त राज्यों में पारेषण अवसंरचना का समय पर विकास सुनिश्चित करने और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के बढ़े हुए उत्पादन की कुशल आपूर्ति के लिए पारेषण क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि अपर्याप्त पारेषण क्षमता देश में हाल ही में शुरू की गई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के आपूर्ति पक्ष को प्रभावित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) तथा (ख) नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्यता, कनेक्टिविटी अनुप्रयोगों, उत्पादन वृद्धि और अनुमानित मांग को ध्यान में रखते हुए, स्थापित ट्रांसमिशन प्लानिंग प्रक्रिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर की पर्याप्तता का आकलन किया गया है।

आंध्र प्रदेश से 30,000 मेगावाट तथा तमिलनाडु से 1000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (ISTS) को अनुमोदित किया गया है।

(ग): सरकार द्वारा ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर का समय पर विकास सुनिश्चित करने और नवीकरणीय ऊर्जा की दक्ष निकासी के लिए ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) एक संभाव्यता-आधारित ट्रांसमिशन योजना दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें औपचारिक कनेक्टिविटी अनुप्रयोग प्राप्त होने से पहले ही राज्यों/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा चिन्हित की गई नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्यता, अनुमानित मांग वृद्धि और भविष्य के उत्पादन परिदृश्यों के आधार पर ट्रांसमिशन गलियारों की योजना बनाई जाती है।

(ii) पर्याप्त ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास के लिए अनुमानित मांग, उत्पादन मिश्रण और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, पारेषण के लिए संसाधन पर्याप्तता (RA) योजनाएं, संबंधित राज्य पारेषण यूटिलिटी (STUs) के परामर्श से तैयार की गई हैं।

(iii) राज्य के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा को समेकित करने के लिए ग्रिड की क्षमता बढ़ाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का कार्यान्वयन

(iv) सीटीयूआईएल द्वारा उत्पादकों, ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर्स (TSP) और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए संयुक्त समन्वय समिति (JCC) की बैठकों के माध्यम से उत्पादन और ट्रांसमिशन-दोनों की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक चरण में कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए CTUIL, CEA और विद्युत मंत्रालय द्वारा आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(घ): ग्रिड-इंडिया लिमिटेड के अनुसार, T-GNA तंत्र का उपयोग करके लगभग 21 गीगावॉट परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा (VRE) क्षमता की निकासी की जा रही है, लगभग 12 गीगावॉट की निकासी उच्च सौर उत्पादन के दौरान सीमित अवधि के लिए प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध दिनांक 25.07.2026 की स्थिति के अनुसार, VRE उत्पादन और उनसे जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणालियों के चालू होने के बीच बेमेल के कारण है।
